कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद मऊ।

संख्या 15(9) /जि0आ0अ0मऊ/व्यवस्थापन/2017–18/आबकारी दुकान/दिनांक 06.04.2018

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के संख्या–1347–1421/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19/इलाहाबाद दिनांक 06.04.2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु द्वितीय चरण के उपरान्त अवशेष बची देशी शराब की 06 एवं बीयर की 01 फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन तृतीय चरण में आन–लाईन आवेदन आमंत्रित कर ई–लाटरी के माध्यम से निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार किया जायेगा।

कमांक	तृतीय चरण	तिथि
1	द्वितीय चरण के पश्चात अवशेष देशी शराब एवं बीयर की दुकानो के व्यवस्थापन के लिए ई–लाटरी हेतु आन लाईन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	07.04.2018 को प्रातः 10.00 बजे से
2	तृतीय चरण में आन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि एवं समय	12.04.2018 को रात्रि 11.30 बजे तक
3	ई लाटरी की तिथि/समय	16.04.2018 को प्रातः 09.00 बजे से
4	ई लाटरी स्थल	कलेक्ट्रेट सभागार मऊ

जनपद मऊ में देशी शराब एवं बीयर की निम्नलिखित दुकानों का तृतीय चरण में व्यवस्थापन उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार ई–लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

1–देशी शराब

क0	दुकान का नाम	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित एमजीक्यू	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित प्रतिभूति	वर्ष 2018–19 हेतु धरोहर धनराशि	हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुबारी मोड़ मधुबन	51384	1438752	11407248	1140725	143875	2141000
2	स्टेशन रोड दोहरी घाट	32664	914592	7251408	725141	91459	1361000
3	जामडीह, था0–घोसी	25140	703920	5581080	558108	70392	1047500
4	प्यारेपुर	16224	454272	3601728	360173	45427	676000
5	अलीपुर कहिनौर	11844	331632	2629368	262937	33163	493500
6	कटिहारी	11328	317184	2514816	251482	31718	472000

2–बीयर दुकान–

क0	दुकान का नाम	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित प्रतिभूति	वर्ष 2018–19 हेतु धरोहर धनराशि	हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अमिला बाजार	70000	7000	7000	70000

प्रोसेसिंग फीस (रू0 15000) पर देय जी0एस0टी0 18 प्रतिशत भी नियमानुसार आन–लाईन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन आवेदको द्वारा आन–लाईन फीस जमा नहीं की जायेगी तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र, पैन कार्ड, गतवर्ष का आयकर रिटर्न व हैसियत प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की जायेगी, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य धरोहर धनराशि का डी0डी0 (जिला आबकारी अधिकारी, मऊ के पद नाम से) कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मऊ के यहॉ जमा होगी। शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त करें।

यदि किसी आवेदक को देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान तथा मॉडलशाप्स के लाईसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाईसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में बेसिक लाईसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा बेसिक लाईसेंस फीस/लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

ई–लाटरी से संबन्धित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाईड **upexciseelottery.gov.in** के अतिरिक्त जिले के बेवसाईड **mau.nic.in** पर देखा जा सकता हैं। ई–लाटरी से संबन्धित जानकारी हेल्प डेस्क मोबाईल नम्बर **9454467033** पर प्राप्त कर सकते है। अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती हैं।

6.4.018

जिला आबकारी अधिकारी,
मऊ।

जिलाधिकारी,
मऊ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।
विज्ञापन व्यवस्थापक,
दैनिक समाचार पत्र
....
मऊ।

कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी संस्करण मे न्यूनतम् सरकारी दरों पर प्रकाशित करने के साथ ही साथ भुगतान हेतु बिल को कार्यालय जिला सूचना अधिकारी मऊ से सत्यापित कराकर डी0ए0वी0पी0 के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
मऊ।